न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./04/2019/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. भारत संघ जरिये रक्षा सम्पदा अधिकारी, जोधपुर 2. एडम कमाण्डेंट, सेशन हैड क्वार्टर, पोकरण आर्मी एरिया, पोकरण।		1. दरगाह बादशाह पीर अहमद कादिर जिलानी जरिये मुतवली प्रबंधक रमजान खॉ पुत्र खेरदीन निवासी साकड़िया, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर राजस्थान 2. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, पोकरण, जिला जैसलमेर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 389/2018 बउनवान दरगाह बादशाह पीर अहमद कादिर बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितः—

1. वकील श्री विपिन व्यास अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक श्री हरिराम चौधरी रेस्पो. संख्या 02 व 03 की ओर से।

—:निर्णयः—

दिनांकः—12.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 दरगाह बादशाह पीर अहमद कादिर जिलानी द्वारा अपने नाम से खसरा संख्या 11934/48 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आराजी खसरा संख्या 48/1 रकबा 493 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो एम.ई.एस. भारत सरकार के नाम से रिकार्ड में दर्ज है में से आम रास्ते की मांग अपने नाम खसरा संख्या 11934/48 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मुमकिन बीघा में आवागमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने नाम के खसरा संख्या 11934/48 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 48/1 रकबा 493 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो एम.ई.एस. भारत सरकार के नाम से रिकार्ड में दर्ज है में से आम रास्ते की मांग अपने नाम खसरा संख्या 11934/48 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मुमकिन बीघा में आवागमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि ग्राम पोकरण के खसरा संख्या 48/1 रकबा 493 बीघा 17 बिस्वा मिल्ट्री इंजीनियरिंग सर्विस(एम.ई.एस.) भारत सरकार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। यहॉ पर भारत सरकार की सेना की गतिविधियां एवं सैन्य भंडारण देश की रक्षा हेतु होता है। जिसमें किसी आम नागरिक को सेना की अनुमति के बिना प्रवेश निषेध है। जो देश की सुरक्षा व देश के हित में होता है। भारत पाक की सीमा से लगता पोकरण मिलेट्री स्टेशन होने से अति संवेदनशील क्षेत्र है। इस सम्पूर्ण खसरे में भारतीय सेना ने अपनी सुरक्षा एवं सैन्य गतिविधियों को गुप्त रखने हेतु ऊंची–ऊंची तारबंदी कर रखी है। देश हित व भारतीय सेना के हितों को नजरअंदाज करके मनमाना व कानून के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2018 को पेश हुआ था, जिसकी आगामी सुनवाई की पेशी तारीख प्रार्थना–पत्र के दर्ज दिनांक से 2 दिन पूर्व दिनांक 27.11.2018 नियत की गई प्रतीत होती है। जो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की तकरीबन मात्र 03 माह

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण की जाकर एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब करते हुए विधि विरूद्ध जाकर केवल मात्र रेस्पों. संख्या 01 को फायदा पहुचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स/विप्रार्थी की ओर से वकील श्री बाबुसिंह को उपस्थित बताया है जबकि पोकरण में उक्त नाम से कोई वकील ही नहीं है। साथ ही अपीलांट की ओर से उक्त वकील द्वारा वकलातनामा भी पेश नहीं किया गया और उनकी उपस्थिति दिखाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई हेतु बिना कोई अवसर प्रदान किये ही एकतरफा पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण के संबंध में न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर द्वारा मुकदमा संख्या 33/01 निर्णय दिनांक 11.12.2001 को पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा सुदृढ आधारों पर याचिका Civil writ petition 2251/2016 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में पेश कर रखी है। जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाले–बाले रूप से अपीलांट को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में स्पष्ट लिखा है कि किसी खातेदार काश्तकार को अपने जोत हेतु भूमिगत पाईप लाइन अपने जोत की सिंचाई के लिए बिछाने या खातेदार को अपने खेत/जोत तक पहुंचने/आवागमन हेतु अगर कोई विकल्प नहीं हो तो अन्य किसी खातेदार की जोत में से होकर कृषि भूमि की दरों से दुगुना प्रतिकर लेकर रास्ता प्रदान किया जा सकता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रावधान के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पों. संख्या 01 द्वारा केवल दरगाह के दर्शन के लिए रास्ते की मांग की गई है। दरगाह के दर्शन जोत/खेत की परिभाषा में नहीं आते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि खसरा संख्या 48/1 रकबा 493 बीघा 17 बिस्वा भारत संघ रक्षा मंत्रालय की है यहां पर आर्म्स एम्यूनिशन व सैन्य गतिविधियां 24 घंटे संचालित होती हैं ये अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। यह आर्मी एरिया भारत–पाक बॉडर के नजदीक है तथा पोकरण फील्ड–फायरिंग रेंज से जुड़ता है। यहीं पर पूर्व में भारत देश द्वारा परमाणु परीक्षण भी किया गया था। जो किसी भी तरह से आमजन के लिए आने–जाने के लिए नहीं हो सकता है। यहां आर्मी के संसाधन एवं फौजें रहती हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 48/1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत के काम नहीं आती है। उक्त समस्त कानूनी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलांट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– 1. 2022(2)RRT Page No.- 1096

2- 2022(2)RRT Page No.- 1286

रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने वकील अपीलांट के उपर्युक्त कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 48/1 रकबा 493 बीघा 17 बिस्वा राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2003 में रक्षा विभाग को सुपुर्द किया गया था जिसमें सेना विभाग द्वारा देश हित में गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 10.09.1985 द्वारा ग्राम पोकरण में 1178–18 बीघा(471.56 एकड़) भूमि सेना विभाग को अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रदान की गई थी। जिसमें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 17.10.1996 द्वारा स्वीकृति दी गई। इसके अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा राशि रू. 2,28,23,500/– राजस्थान सरकार को बतौर भूमि का मुआवजे/प्रतिकर के रूप में भुगतान किया गया था। रक्षा सम्पदा अधिकारी, जयपुर के पत्र दिनांक 24.12.1996 द्वारा भूमि 1178–18 बीघा (471.56 एकड़)बीघा का हस्तांतरण मुल्य राशि रू. 2,28,23,500/– जरिये 26 चैक नं.–A-708677 To A-708702 दिनांक 20.12.1996 के द्वारा भुगतान किये गये हैं। उक्तानुसार हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 48/1 भारत सरकार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका वर्तमान में उपयोग–उपभोग भारतीय सेना द्वारा देश हित एवं रक्षार्थ में किया जा रहा है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जबरदस्ती रास्ता निकालने पर आमादा हैं अगर रेस्पोडेन्ट अपने उक्त मकसद में सफल होता है तो देश एवं सेना की निजता पर असर पड़ेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे जाकर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमावं एवं अपील अपीलांट को स्वीकार फरमाया जावें।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की स्वयं की नाम की हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 11934/48 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। प्रश्नगत दरगाह बादशाह पीर अहमद कादिर जिलानी सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जिसमें दो कमरे, दो पानी के टांके व दरगाह की चार दिवारी बनी हुई है। यहां पर पांच–सात जिलों के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लोग प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में दर्शन करने आते हैं चूंकि उक्त दरगाह के चारों तरफ खसरा संख्या 48/1 भूमि एम.ई.एस. भारत सरकार को आंवटित हो जाने के कारण वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में एम.ई.एस. के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत दरगाह में आवगमन हेतु रास्ता गोमट की आबादी भूमि में से कदीमी रास्ता था जिसे वर्तमान में दरगाह व गोमट गांव के मध्य में अपीलांट द्वारा तारबंदी करके रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया था। जिस कारण से तीर्थ यात्रियों का दरगाह पर पहुंचना मुश्किल हो गया था। उक्त अवरोध के बाद तीर्थ यात्री आर्मी के क्षेत्र के अन्दर से मैन गेट से आर्मी के अन्दर आने–जाने वाले रास्ते से आवागमन शुरू किया लेकिन आर्मी द्वारा कभी भी अपनी इच्छा अनुसार आर्मी की महत्वपूर्ण गतिविधियों का हवाला देते हुए आवागमन को बन्द कर दिया जाता है। जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूरी से आये हजारों यात्रियों को बिना दर्शन के ही पुनः लौटना पड़ता है। दरगाह में साल भर एक बार हरवर्ष उर्स भरता है। रास्ते के अभाव में उर्स में आने वाले यात्रियों को दुविधा का सामना करना पड़ता है। अपीलांट्स द्वारा ग्राम गोमट की तरफ से आने वाले कदीमी रास्ते को रोक दिया गया जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–ए का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुए अपीलाधीन रास्ता पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें यह स्पष्ट अंकन आया है कि दरगाह की भूमि खसरा संख्या 11934/48 के उतर–पश्चिम दिशा में गोमट से आने वाले मुरडिया रास्ते तक जाने हेतु अपीलांट के खसरा संख्या 48/1 भूमि में से रास्ता कबण किया जावे। यह प्रस्तावित रास्ता सबसे कम दूरी पर है। जो सबसे नजदीक एवं सुलभ रास्ता है। नियमानुसार रास्ते में दर्ज होने वाली भूमि के बदले प्रतिकर राशि रेस्पोडेन्ट द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा चारों दिशाओं में गोमट गांव से आने वाले कदीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम न तो कटाण रास्ता है और ना ही कोई सड़क या अन्य कोई आवागमन का जरिया है। उक्त समस्त तथ्यों को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतयाः विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों पर खरा उतरता है। अगर किसी कारण वश अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है तो दर्शन हेतु आने वाले हजारों जायरीनों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। इस वजह से रास्ता कटाण किया जाना आवश्यक था जिसको कानूनन आवश्यक मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को किसी भी प्रकार की क्षति कारित नहीं हो रही है। अतः उक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रस्पोडेन्ट संख्या 01 के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवागमन हेतु इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को दिनांक 02.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिकर के रूप में जमा पैसे प्राप्त करने हेतु प्राप्त नोटिस के जरिये हुआ। आदेश का ज्ञान होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने नाम के खसरा संख्या 11934/48 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि आवागमन हेतु खसरा संख्या 48/1 रकबा 493

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बीघा 17 बिस्वा भूमि जो एम.ई.एस. भारत सरकार के नाम से रिकार्ड में दर्ज है में से आम रास्ते की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा यह है कि किसी भी रिकार्डेड काश्तकार को अपने जोत में आवागमन हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो तो धारा 251–ए के तहत रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त विधिक प्रावधान से विपरीत प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने नाम के खसरा संख्या 11934/48 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 48/1 में से आम रास्ते की मांग की है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 काश्तकार नहीं और न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा किसी जोत में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। चाहा गया प्रश्नगत रास्ता दरगाह हेतु वांछित है। धारा 251–ए की मंशा अनुसार दरगाह जोत में समाहित नहीं है। दरगाह एक धार्मिक स्थल है। प्रश्नगत रास्ता धार्मिक स्थल हेतु पारित किया गया है जो धारा 251–ए के प्रावधानों एवं विहित प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाकर पारित किया गया है। खसरा संख्या 48/1 में से जिसमें से रास्ता स्वीकृत किया है। यह खसरा भारत संघ रक्षा मंत्रालय का है यहां पर आर्म्स एम्यूनिशन व सैन्य गतिविधियां 24 घंटे संचालित होती हैं ये अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। यह आर्मी एरिया भारत–पाक बॉडर के नजदीक है तथा पोकरण फील्ड–फायरिंग रेंज से जुड़ता है। यहीं पर पूर्व में भारत देश द्वारा परमाणु परीक्षण भी किया गया था। जो देश व सेना की सुरक्षा दृष्टि से किसी भी तरह से आमजन के लिए आने–जाने के लिए नहीं हो सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। हस्तगत प्रकरण के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट लम्बित होना अवगत कराया, जिसके सबंध में वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को प्रति प्रस्तुत करने को कहा गया लेकिन उन्होंने प्रति उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया। उनसे जानकारी चाही गयी कि माननीय न्यायालय का कोई स्थगन आदेश है क्या। उन्होंने इससे भी अनभिज्ञता जाहिर की। राजकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि स्थगन होता तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अवश्य ही प्रस्तुत कर दिया गया होता। यदि कोई माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो अज अदालत का हस्तगत निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 389/2018 बउनवान दरगाह बादशाह पीर अहमद कादिर बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

12/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर